


रजिरुट्रीकरण प्रमाण-प्रत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वामी गंगाहार शिक्षा राजिस्सर (मोर्गपुर) जिला जयपुर राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक १७ माह जिलाई सन दो हजार






10

रिजिस्ड्रा र संस्थाएँ

मुद्रक : राज्यस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-। 🗷 2374969 2751352

2751417



अतिदेश प्रापम



ः मुद्रक एवं विकेता ःः

राज, राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड

जी-1/138, मालवीय इण्ड. ऐरिया, जयपुर। फोन: 275 1352, 275 14 17

प्राप्ति स्थल :

राज, राज्य सहकारी मुद्रणालय लि. पोलोविक्ट्री के पास,जयपुर-1 फोन : 2374969



शपथ-पत्र का प्रपत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था स्थानी वागादास्न जिल्ला स्थानित के संशपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि :-

- 1. हमारी प्रस्तावित संस्था २०१मी जे जाता र जिल्ला स्त्रीमित के पंजीयन हेतु कुल 15 आवेदक सदस्य हैं।
- हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/सिमिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं हैं।
- प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु
 गठित की गई है।
- 4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं, के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
- 5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यावसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
- 6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यावसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यवितगत लाभ निहित होगा।
- 7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थायें (२७५०) को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।
- 8. भविष्य में उक्त बिन्दु सं. १ से ७ में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, जियुन् (राजि॰) को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष

मन्त्री

ञ्चुमल शमा कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य हमारी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें जिनभू र (२१७५) को पंजीयन रदद करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

महारेगी ना द

नेम्द्राका

सुभन श्रामी कोषाध्यक्ष

नोट :- यह शपथ पत्र रुपये।0%- के स्टाम्प पर होगा तथा नोटरी पब्लिक /राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा।

विधान/संशोधन से संबंधित निम्न सूचनाएं प्रस्तुत करें

- 1. संस्था की कार्यकारिणी द्वारा संस्था के विधान में संशोधन/परिवर्तन अथवा परिवर्धन के विचारार्थ बुलाई गई विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की एक प्रति।
- 2. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें :-

क्र.सं.	संस्था की	बैठक में	विधान के	कितने सदस्यों	कितने सदस्यों
	कुल सदस्य	उपस्थित	अनुसार बैठक	ने संशोधन के	ने संशोधन के विपक्ष
	संख्या	सदस्यों की सं.	का कोरम	पक्ष में मत दिया	में मत दिया।

- 3. संस्था की उक्त बैठक की कार्यवाही व इस बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि।
- 4. संस्था की उक्त विषयक साधारण सभा के एक माह बाद संस्था की बुलाई गई द्वितीय विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति।
- 5. बैठक की कार्यवाही की सत्य प्रति।

2

- 6. कुल सदस्य संख्या/उपस्थित सदस्यों की संख्या/विधानानुसार उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन के लिए सम्पुष्टि की प्रमाणित प्रति।
- त. संस्था के तीन पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र
 हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन संस्था रिजस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।
- 8. तुलनात्मक स्टेटमेन्ट निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	विधान की	पंजीकृत विधान	विधान में संशोधित किया गया
	धारा संख्या	का नियम	नियम (नया नियम)

- 9. संस्था के संशोधित विधान की तीन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रति, जिसमें समस्त संशोधन यथा स्थान अंकित किये गये हों।
- 10. नाम परिवर्तन से संबंधित ७ सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, साथ ही मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

विधान (नियमावली) तथा संघ-विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :-

- यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
- 2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये/बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
- 3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
- 4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
- 5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
- 6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावें। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
- 7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
- अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।

धारा - 20

9. **सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा** :- इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात :-

पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक, अनाथ निधियां, ¹(खादी और ग्रांमोद्योग), साहित्य, विज्ञान या लिलत कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलिरयों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।

- 10. राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपन्न राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय से प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावें।
- 11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष के राशन कार्ड की फोटो कॉपी/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूपानुसार रुपये 5/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।

राज. राज-पत्र विशेषांक 4 (क) दिनांक 17.5.95 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।



- 12 आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
- 13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 7, एवं शपथ पत्र नोटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
- 14. ग्राम, मोहल्ला, कॉलोनी, विकास सिमितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।
- 15. ग्रामीण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय नगर पालिका, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र हो तो उपयुक्त रहेगा।
- 16. संस्था पंजीयन हेतु आदेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।
- पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।
- 18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले हों तो उपयुक्त रहेगा।
- 19. अन्य संस्थायें जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।
- 20. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबंधकारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। ''परिवार'' से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है जिसमें पति और पत्नी, उनके बच्चे और उक्त बच्चें के बच्चे जो उस पर आश्रित हों तथा पति की विधवा माँ जो पूर्ण रूपेण आश्रित हो।
- 21. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पंजीयन कार्यवाही की चालू प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- 22. अधिसूचना क्रमांक प.4 (5) कृषि-4/सह./91 दिनांक 29.1.1998 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क 250/- रुपये के स्थान पर 2500/- रुपये निर्धारित करती है।

समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था नहार्ग नहार्ग समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

- इस संस्था का नाम र्वाभी गंगादास दिशहमा रामितिसमिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा। संस्था का नाम इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय व्यादी रहिए में रून विराहन गर् पंजीकृत कार्यालयः तथा इसका कार्यक्षेत्र राज्य स्था न तथा कार्यक्षेत्र
 - इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-संस्था के उद्देश्य : 3.
 - रिश्रमाथियों का सर्वाशिष विकास ।
 - 2. जिल्हार के कलंद की भाराना, राभी की साझर करना।
 - 3. सभी जाते न्या एवं लिंग के में स्माव विना चिला है ला।
 - 4. शिखारियों का पामित्र विकास करें स्वायलामी बनाना।
 - 5. राष्ट्रीयता की भावना (तामृत करना व सुनागरिषु बनाना।
 - 6. नार्तीय वाम एवं संस्कृति से अल्सरकारित विद्या देवा।
 - 7. सामाजिय कुरोतियों ४ समस्याओं की समात करना ।
 - 8. वारीन, पीर्ट्स, जैसहारा एन निवुलाग वर्ज्यां को मित्रालक शिखाँदेना १
 - 9. त्राक्यात्मद्धं युवावनी सिस् देना।
 - 10. वाल विद्रास रेत अन्य कार्य कार्या।
 - 11. गामीन सेनो में जिल्ला संस्कृति व मातृभावा के सामसाय अंग्रेजी आवाका भी
 - 12. शिल्डा कार्य प्रमान कर रेश नाम करवाना जो संस्था एवं देश में खिरे

 - 13. रतेली इंदे सहभाष नारमको भागारीहरू किल्य परना स्व देशके खरें? 14. संरंभी में वालाइ नारमको भागारीहरू किल्य परना स्व तालाइ नामिश्र
 - 15. रार्थापत कार्यकृति में सनित कायुत करेगा सारी शिक्षा के कीन में खादिल सीच

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

3



सुमान शामा कोषाध्यक्ष

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं.		व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1. 0/0	रेश मान शामा राहा गुरुका	Gistel	नाया में जिला अपन	गान समिपव भिन्न
2.	वर्गी लाल भागी	र निर्माण	काम नीरंगपुत्र याता मेंड काला जपपुर (११ए०)	
3. श्रीम	वित्ती द मुक्त शामी	-बि।क्ला	गाम बलेश्य भे जीवगृत्त	त नाव । ध्यह
4. 217-	मयरामी भेल गुर्जर		गाम बर्गेट्स पी नीरेन्स्	27 34/59 2-1976 (2-1976)
5. 1.11 to 8,	धनवयात्र सिंह की आ ते जगामिंह श्रीरकावत	उर्गन	मेंड भारत पार पीर नीरे अपूरी	101- 779
	अमराव त्याला रुगरः	(मी.पी.एड.)	गम भैरापुरा ची मेरेगाउ	त्रा रादर
5/0/5/	मार्याराम रामी		गाम मेड किला (मधुर	(RNT)
3/02/	गपत रिनंह को राम १ विभागाय रिनंह को राम १	·	याम वलेश्न पी नीवंग्रम व	स्ति। स्ति
	होरा सेह. भूल कुमा श्रेमा निक्तु अस्ट्रियाल	अस्मान ती	भूषो निरंगक्षी प्राप्त मेंड १००१ ज्याहर (२००१)	F1582
1. die	विश्वा अग्रसास्य	मिलानिय के	भूपो नार्डिमहरी महा में। या मी किलाएंस हर (स्पर्ने	9 .
2 2	विनी जातिड	निका स	निर्म प्रेनिश्च । गैड मिला जार (शहर	
3.	न्यं नाम जारिष्ठ		कालेट्सरा ची नीरंगपुरा	सद्धा
4. SA	हिरास होते हैं	- 0	तो : ललतार, नोरंगपुत्तः १ के :अशपुट १ पो : ललतारोगरेगपुत्	उपाध्यक्ष
2/2 .	JESTICI WINNE	1 1011213	53. 12141 (DAME 51)	. 7319
	(क्रीसारापराहर	. 461	गिरगपुर राजा।	CISFLI
वर्जी। यक्ष	wild	मन्त्री		सुमान शामा
		(5)		कोषाध्यक्ष

(co

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

	क्रप में गठित होने वे इस राजस्ट्राकृत		पूर्ण पता	हस्ताक्षरं विश्वता
क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय		
		15 डागर्फ	नाया मेंड किला जा	211 can to 2000
1 2	a El alles alder 5			
	8/0 2/ 2/0/ 01/00 Ground	By whilip	7 25 3	esisat A
0	उमराव लाल रंगर	किंगी देशवनगरी	गाव भेन्यहरा पो भी	स्थानिक सम्मावनाव
2.	3419 (110 404	(29-10-fis)	भामा भार । । । ।।	
•	५/० हमें हर गंगता रेंगन		भूमी नोरम्पुरी नामा	to englar
3.	शंकाराम्ह श्रेथावतडा.	निर्मी व्यापमार्	- Trong (57 1000)	
1	मी केश्यामाह श्रीवावर			
4. 1	त्रेमुनन शिह शेरमाणत अ	((((() ())	मेला एम्प्टि (मेरा)	9
,5	A 28/2/2 18 8 2 12 000 1	1000000 3 dd 3 -	भारी- नावगद्भी भाषा स	stoot on the
5	नाय गाम, क्षेत्रव । विष्णा	manc go c	EMP (21010) 01	न ८१ महिल्ल
	दर्गत्र क्षेत्रं ड/० देवी	240	मारा वर्षकेत पी गरिश	विश्वामा केंद्र
6.	O(c (15 .)	6	मुला कार्यक्र पो वस्तर्थ जाम कार्यक्र पो वस्तर्थ जाम कार्यक्र पो वस्तर्थ	
	(भावमाराक्षर से विद	3.6		and
7.	(भावना विनंद		O 41	
	Slow Eld HE	- निकार्ग र	माना क्यान (वाद्यः)	Karb.
8.	डा० मिस्सानी रेजीन	3 -	मिना रंगमहत् (वार्ष)	
	8/0 11/1/1	कार्गि	किले . तीं के दिश गया	of pulaid
0	TIPILITY OF THE SITE		किना जमारे हैं। याथा	Kara
9.	डा॰ भी सूका राम छार			
). उम्रवाव शिंह गुरूरही	स्त्रीय	मु. १ वेश्वर पे, तार्ग द्व	7
10		2000	नाया भी गिर्मा ने छ	
	2)रेश भाग गिल्ड		निक्त स्थालक आमा	877.47
1	1.37797	इकान	निना जम्म (राण)	
	Sto Stimber only		० ८ भी मानिय	t Qual 1
1:	2. राम मान्य मान्यां अ० कर्म वर्षाती कार्यां 3. क्रिकी विश्वाद महत्व अ० कर्म हो विश्वाद महत्व	० निर्देश	नार्था केड किलाउपम	PRIS)
	डा० कर्ने अर्पेटी काराया		or The best among	75 Lis
1	3. कमिली कराम महत	ा ट्यानमा	मानी कार्या (कार्या)	int
	Sport EILL DIT	****	मिला निया पुल्तीर ।	अरा -समान्द्र
1	14. रामित्रशीर	हमान	मिला अपहे (श्वा) म ब्लिस पेलीर । भ्या में भिला अपही	(নাতা)
	SIOCH EN OILILINIZ	514'		-e. morre
	15. हार्मपाल सिटं १	3मा	7	
	९ भीड़न की है शब्बाद	ात ।		- क्रिक्टाकार
	16. अवल्टा मार	373	2440	
	डाव्सी स्ट्रांना राजा			en ds
	17 Cornelation	1.0,	देशाय मिला अपेट्रिक्ट	101-)
	212/18/53 AM			
	AZI 5115	101	2 [14.0]	- Myfrak
	18. 24 21/21 (mid 12)	Jen 15		
2		4	ing let the	सुमेन राम
1 <	Lenzon and		मन्त्री	कोषाध्यक्ष
	OTE-TIOT			

(6)

अध्यक्ष

9

कृ सं	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
क्रीन्तरम् जुलारसमि र मी असे रहमाता सहाययाना	ध्यु क्लेंक क्रिश्तन	गुर्मार है। मीना पर (भाग	الاروسية
कित्र जीताल हो।	4:90 37° 7170	में गरंगपुर (साजा)	रिवर्देशीय.
5/0mt वृद्धा रिश मिनी 21. मिनी स्तु मन रामा जीवारी विकार कुम्मरामा	-1818/101 में वर्ष	कार्यात्वर (त्राणक) जायात्वर (त्राणक)	सुगन श्राम
	- 4 y - 3. 401%	र पा वीने गहर। नाया गंड	डामरापार्थः
22. भी मुल्ली श्राम प्रणेट डिल्को सुल्लान ग्रेजी 23. भी धनश्याम रिटेंड से स्त्रीत र डिल्को ज्ञारी	काराम् संस्थान्य अपहर्शनिहरू	वुरास्त्र पानीवगद्वी	Sugar March
			7 " 37 17 17
25. 57 310140 mais 20	विराग विराग वे	कार यो बोरगहर ।	या जवाड़ी त
24. 900 91 011 2121 212 25. 5/0 -5/1 011 2/12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	राश्चर वास र	उ किला ज्या है (साप्त) . विगद्धी नाथा में ड	जाजपत्र सिंहर
27. जाना न न दान गा	बीरिकाय गुना	विषयि (साणा)	इस्मिलाक
28 भारादान रहा भी	न्यानि है से नि	राष्ट्र वा निरंपान	मावा स्थिन
29. भाविती जाविड	में वाल	मिला जमहर (राज) है सत्ति नीरेगपुरा ए विनला रामपुर	साविजी वर्ग
30.500 के निर्देश के कि		ति सी - यार्गातरा १. त्याला समाने	Jest Su
11/1/ 414 0161 81814	11111	3. Justsund La	वंगान मा
31.5/00010 Med 20110		्राज्यारकातर	
33. 86 भी बीजाला व शेंटर !	, , , , , , ,	विश्वपुरं नामकोड	EX 315.5116

हम निम्न हस्ताक्षरकता प्रमाणित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

(१) संस्था का नाम सामा माना है।

(२) संस्था का नाम सामा माना है।

(३) किस्त दस्तावेज जे हिं ।

(४) दस्तावेज की हैं ।

(भ) दस्तावेज की हैं ।


(मम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

म्सिर्व गोना त

3

मन्त्री

मुनन शम्। कोषाध्यक्ष



र्वाभी गंगाश्य क्रिसा समिति

....समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्थ

विधान (नियमावली)

इस संस्था का नाम स्वामी गैंगा वास रिसा सिनि संस्था का नाम समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा। इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय व्यक्तारम् यं स्य विशास नगर पंजीकृत कार्यालयः 2. जिथुर (राजः) तथा कार्यक्षेत्र

क्षेत्र तक सीमित होगा। राजर्थान तथा इसका कार्यक्षेत्र.....

इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है:-संस्था के उद्देश्य :

1. शिसाधियों का स्वीमीका निकारन व

2. फिरसरता के मलंद की मिराना, राभी की साक्षर करना।

3. प्रभी टिमारी स्वर्भ एक लिंग के अरभाव किना शिक्षा देना।

4. जिल्लाभियों का चारिनिय विकास निर्वे स्थापलामी सनाना।

5. प्रारीयपी की भाजना (गाभूत करना व खुनागरित् बनाना।

6. मारतीय धर्म राष्ट्र से स्वति से सका संस्काति जिल्हा देवता।

7: प्ताणिक कुरीतिमें स्व समर्घोंकों की समात करना।

8. गरीन, पीड़िन, खेसहारा व विद्यांग क्यां की निः अल्यांशादेना।

9. ब्लाख्यारिमक एन मुनवन्ति स्वास्त देना।

10. वार्ष विकास हैत अन्य कार्य दरता।

11. गाओवा सेनो मे शिक्षा संस्कृति व मात्मापा के साथ खाथ डुजेजी भावा का भी

12. बिश्चि कार्य मुख्य कररें मार्थ करवाना भी संस्था एन देश के ति में

13. रचीली हुई संस्था में जालरी कैविकास है लिए प्रभासरत में खना।

14: र्स्या म वालद वालिद्राक्त में शारीरिद् विदास दरना रुव राहल नागरिद

15 स्थारित कार्यकी मेक्सि जासून बहुना वारि विभाग द्वित उत्पन्न हारित्र

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

स्रिमी लाख

和到前

भीज देशा कोषाध्यक्ष

सदस्यता

निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

- 1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
- 2. बालिग हों।
- 3. पागल, दिवालिये न हों।
- 4. संरथा के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
- 5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

सदस्यों का 5. वर्गीकरण

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

1-संरक्षक

2-विशिष्ठ

3-सम्माननीय

4-साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

सदस्यों द्वारा प्रदत्त 6. शुल्क व चन्दा

उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

1-संरक्षक

राशि......1001/00 ८६ वार्षिक/आजन्म

2-विशिष्ठ

राशि.....501/00 रेड: वार्षिक/आजन्म

3-सम्माननीय

राशि... 101/00 हुद वार्षिक

4-साधारण

राशि.....51/ ०० ८८: वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु.....रु मु धत्

की मासिक दर से जमा कराई जा सकेगी।

सदस्यता से निष्कासन

61

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

1-मृत्यु होने पर

2-त्याग पत्र देने पर

3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

साधारण सभा 8.

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का

निर्माण करेंगे।

साधारण सभा के 9. अधिकार और कर्तव्य

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे।

1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2- वार्षिक बजट पारित करना।

- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
- 4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने

पर लागू होगा।)

Puzziland



- 10. साधारण सभा की बैठक
- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
- 2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
- 3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
- 4 कोरम के अभाव में बैठक स्थिगत की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थिगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
- 5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा । माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अविध में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।
- कार्यकारिणी का गठन

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगे :-

1. अध्यक्ष-एक

2. उपाध्यक्ष-एक

उत्मानी-एक

4. कोषाध्यक्ष-एक

5. सदस्य-सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में पदाधिकारी व

12 सदस्य कुल 15 सदस्य होंगे।

- 12. कार्यकारिणी का निर्वाचन
- 1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
- 2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
- 3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।
- 13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

- सदस्य बनाना/निष्कासित करना। 1-
- वार्षिक बजट तैयार करना। 2-
- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, 4-उन्हें सेवा मुक्त करना।
- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

अभाग देवा कोषाध्यक्ष

-ersyl arice

14. कार्यकारिणी की की बैठकें

- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
- 2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
- 3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
- 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थित अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

प्रबन्धकारिणी के
 पदाधिकारियों के
 अधिकार व कर्तव्य

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

- 1- अध्यक्ष
 - 1-बैठकों को आहूत करना।
 - 2-मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
 - 3-बैठकें आहूत करना।
 - 4-संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
 - 5-संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
- 2- उपाध्यक्ष:
 - 1-अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
 - 2-प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।
- 3- मन्त्री:
 - १-बैठकें आहूत करना।
 - 2-कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
 - 3-आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
 - 4-वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन या यात्रा बिल आदि पास करना।
 - 5-संस्था की प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
 - 6-पत्र व्यवहार करना।
 - 7-सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।
- 4- उपमंत्री:
 - 1-मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
 - 2-अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

त्रीय <u>अ</u>भा

सुगन श्रामी कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष



कोषाध्यक्ष :

1-वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2-दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना। क्षेत्रक की जेवान अधिकेयम 1968

3-चन्दा/शुल्क/अनुदान आिक्सिमात कर रसीद देना । 🐔

4-अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करेंनी। अनिवास अना के कि यह संस्था

16. संस्था का कोष

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा:

वित्री कार्य वाने वस्तानेन जी । में तीर जार कि। हैं

2. नकल तैयार करने

वाले के हरताक्षर...

me de de de 15/7/06

अनुदान सेहायता , राजकीय अनुदान

उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी

अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी

विशेषाधिकार

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे।

अध्यक्ष ११००/- रु

मन्त्री थै।००/- क

कोषाध्यक्ष थै। 🕫 / 🖚 रु

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण

संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण करया जावेगा।

19. संस्था का विधान

में परिवर्तन

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेखे जोखे

का निरीक्षण

रजिस्ट्रार संस्थाएं (ने य पूर (राज)) को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) समिति/सोसायटी/संस्था की सही व सची प्रति है।

·林多时



सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

कार्यकारिणी की सूची / EXECUTIVE COMMITTEE LIST

पं. संख्या / REG. NO.- 259/JAIPUR/2004-05

दिनांक / DATE- 07-04-2025

SWAMI GANGADAS SHIKSHA SAMITI जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। इस संस्था की परिवर्तित कार्यकारिणी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा- 4 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसे संस्था के रिकॉर्ड मे संधारित किया जाता है।

SWAMI GANGADAS SHIKSHA SAMITI DISTRICT Kotputli-Behror IS A REGISTERED INSTITUTION UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NUMBER 28, 1958) . THE CHANGED EXECUTIVE COMMITTEE OF THE INSTITUTION IS SUBMITTEED BEFORE THE UNDERSIGNED UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958

SECTION- 4 (1) WHICH IS FILED IN THE SOCIETY'S RECORD.

SI. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
1		Abhishek Jaidya	MALE	MEMBER		10/09/1998
2		Anurag Sharma	MALE	STAFF PRATINIDHI		31/07/1996
3		Ashok Kumar Saini	MALE	STUDENT PRATINIDHI		10/07/2006
4	9	Avinash Nehra	MALE	MEMBER		30/05/1979
5		Balla Ram Saini	MALE	ABHIBHAVAK PRATINIDHI		01/01/1970

Signature Not Verified

Digitally signed by Udai Deep Singh Rathore

Designation : REGISTRAR
Date: 2025.04.07

Reason: Approved Location: Kotputli-Behror



SI. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
6		Bindubala	FEMALE	MEMBER		01/01/1900
7		Chanchala Devi Choudhary	FEMALE	TREASURER		16/03/1965
8		Harish Saran	MALE	MEMBER		19/02/1992
9		Jitendra Meena	MALE	MEMBER		26/07/1983
10		Kishan Singh Shekhawat	MALE	MEMBER		04/04/1977
11		Madhu Kanwar	FEMALE	MEMBER		01/01/1900
12		Manoj Kumar Sahrma	MALE	MEMBER (SHIKSHAWID)		05/11/1980
13		Naveen Choudhary	MALE	SECRETARY		26/06/1985
14		Neetu Nehra	FEMALE	MEMBER		26/08/1986
15		Sandeep Yadav	MALE	MEMBER (SHIKSHAWID)		22/12/1982
16		Seema Choudhary	FEMALE	MEMBER		14/11/1986
17		Suman Choudhary	FEMALE	MEMBER		05/04/1991
18		Vijendra Choudhary	MALE	PRESIDENT		01/03/1964

नोट— इसे रजिस्ट्रार द्वारा शासी निकाय / GOVERNING BODY की वैधानिकता का अनुमोदन नहीं माना जावे ।



Signature Not Verified

Digitally signed by Udai Deep Singh Rathore Designation: REGIST RAR Date: 2025.04.07 16:57:27 IST Reason: Approved Location: Kotputli-Behror

